

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -57 / 2025

अनवान :

1. रेखा विश्‍नोई पत्‍नी रविन्‍द्र जाति विश्‍नोई निवासीयान गिलवाला तहसील टिब्‍बी  
2. राममूर्ति पत्‍नी रामकुमार तहसील टिब्‍बी जिला हनुमानगढ़

वादीया

बनाम्

रामकुमार पुत्र मातराम जाति विश्‍नोई निवासीयान गिलवाला तहसील टिब्‍बी जिला हनुमानगढ़  
रविन्‍द्र पुत्र रामकुमार जाति विश्‍नोई निवासीयान गिलवाला तहसील टिब्‍बी जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88, राजस्थान काश्‍तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्‍ता श्री महावीर वर्मा :-वादीगण  
2 अधिवक्‍ता श्री करनैलसिंह :-प्रतिवादीगण  
डिक्री दिनांक.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्‍बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महावीर वर्मा व करनैलसिंह अधिवक्‍ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सवूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 2 एम. के. एस वी के खाता सं० 82/70 में अकित कुल 1.265 है० आराजी वादीया सं० 1 रेखा विश्‍नोई को तथा चकनं० 6 एफटीपी के खाता सं० 69/94 में अकित 0.974 हे० आराजी वादीया सं० 2 राममूर्ति को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं० 1 रामकुमार का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं तहसीलदार टिब्‍बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/2/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर R.A.S.  
पदेन सहायक अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्‍बी